प्रथम आवंटन
आयोजनेत्तर–अनुदान सं0–14
तेरह अंको का कोड–2515001010400

प्रेषक,

निदेशक, पंचायती राज,
उत्तर प्रदेश।

सेवा मे,

समस्त मंडलीय उपनिदेशक (पं0),
उत्तर प्रदेश।

संख्या– 1/ 42 /2011–1/ /2011 : लखनऊः दिनांक 15 अप्रैल, 2011 .

विषयः–चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में अनुदान संख्या–14 के अधीन लेखाशीर्षक 2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–आयोजनेत्तर–101–पंचायतीराज–04– मंडल पंचायत प्रशासन के अन्तर्गत व्यय हेतु धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपयुर्क्त विषयक प्रमुख सचिव, पंचायतीराज अनुभाग–3 उ0प्र0 शासन के शासनादेश सं0–1107/33–3–2011–100 (41)/0 दिनांक 8 अप्रैल, 2011 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिये प्राविधानित धनराशि में से चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 अधिष्ठान में व्यय हेतु आवश्यक धनराशि संलग्न तालिका के अनुसार **₹ 12668171/– (₹ एक करोड़ छब्बीस लाख अड़सठ हजार एक सौ इकहत्तर मात्र)** की धनराशि आवंटित की जाती है:–

यह धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन आवंटित की जाती है:–

1– यह ध्यान रहे कि धनराशि का आवंटन मात्र ही किसी भी प्रकार के व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है। आहरण के पूर्व अन्य संगत नियमों/निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

2– आवंटित धनराशि का व्यय किसी ऐसे मद में कदापि न किया जाय जिसके लिये वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल के अन्तर्गत शासन या सक्षम अधिकारी की स्वीकृति व सहमति आवश्यक है। ऐसे व्यय शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति व सहमति प्राप्ति करने के उपरान्त ही किया जाये। कृपया सुनिश्चित किया जाये कि धनराशियों का व्यय प्रतिमाह कुल धनराशि का 1/12 भाग ही हो यदि किसी माह में 1/12 भाग से अधिक की धनराशि के व्यय का औचित्य पाया जाय तो उस धनराशि के व्यय करने से पूर्व निदेशालय की अनुमति प्राप्त किया जाय। आपको पुनः स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त धनराशि की प्राप्ति की प्रत्याशा में अनाधिकृत एंव अधिक व्यय कदापि न किया जाय। व्यय आवंटित धनराशि तक ही सीमित रखा जाय। किसी प्रकार के अधिक व्यय के लिये अथवा अनाधिकृत व्यय के लिये आहरण एवं वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगें। बजट की किसी भी ऐसी प्राथमिक इकाईयां लेखाशीर्षक के सापेक्ष व्यय न किया जाये जिसके लिये बजट में प्राविधान नहीं है।

3– नियमानुसार अनुमन्य धनराशि ही वेतन मद में आहरित की जाये। गलत तथा अधिक आहरण के लिये आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगें।

4– कोषागार से आहरित धनराशि का विवरण प्रत्येक माह की अगली 05 तरीख तक बी0एम0–4 पर बने अवश्य भरे जाय तथा विवरण में कोषागार वाउचर संख्या तथा दिनांक एवं धनराशि का उल्लेख अवश्य किया जाये।

5– यदि बी0एम0–4 में सूचना नही भेजी जाती है तो गबन आदि की कोई भी घटना होने पर संबंधित आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से सीधे जिम्मेदार होगा।

6– आहरण वितरण अधिकारी को बजट अगली बार तभी आवंटित किया जायेगा जब उपर्युक्तानुसार बी0एम0–4 पर सूचना तथा अतिरिक्त बजट का औचित्य प्राप्त हो जाये।

7– यदि किसी मद में धनराशि समर्पित की जानी है तो संबंधित कोषागार का प्रमाण–पत्र नोट कराना आवश्यक होगा।

8– एक बार धनराशि समर्पित किये जाने के बाद नियमानुसार निदेशक की लिखित स्वीकृति के बिना उस धनराशि को कोषागार से आहरित न किया जाये। अतः यदि समर्पण के बाद बिना अनुमति के कोई धनराशि कोषागार से आहरित की जाती है तो उसके लिये आहरण वितरण अधिकारी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

Mandal 04 DDF First allotment Letter

9— यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि आहरित धनराशि के प्रत्येक बिल पर सही मुख्य, उपमुख्य ,लघु, विस्तृत लेखाशीर्षक अवश्य अंकित किया जाये। ताकि महालेखाकार कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा न हो तथा प्रत्येक बिल के ऊपर दाहिनी ओर लाल स्याही से आयोजनेत्तर शब्द अवश्य अंकित किया जाये जिसके लिये रबर की मोहर अधिक श्रेयष्कर होगी।

10— वर्तमान स्थिति में शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है, विशेष रूप से यात्रा व्यय, कार्यालय व्यय, पेट्रोल तथा टेलीफोन पर व्यय में मितव्ययता अवश्य बरती जाये। अतः व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या सी0ए0—934/दस—2008—मित—1/2007 दिनांक 2—9—2008 और भविष्य में जो जारी किये जायें, शासनादेशों का विशेष रूप से पालन किया जाये ताकि अपव्यय रोका जा सके।

11— व्यय के संबंध में वित्त (आय—व्ययक), अनुभाग—1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या—बी—1 —901/दस—2011—231/11, दिनांक 21 मार्च, 2011 में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

12— उपर्युक्त पर होने वाला व्यय अनुदान संख्या—14 के अधीन लेखाशीर्षक 2515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम—आयोजनेत्तर—101—पंचायतीराज—04— मंडल पंचायत प्रशासन के अन्तर्गत सुसंगत मानक मदो के नामे डाला जायेगा।

13— संबंधित आहरण वितरण अधिकारी आवंटित धनराशि के व्यय का लेखा जोखा रखेंगें तथा व्यय की सूचना निम्नलिखित तिथि तक इस कार्यालय को निश्चित रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

1— कोषागार से आहरित धनराशि का मासिक विवरण बी0एम0—4 पर तथा कोषागार द्वारा उपलब्ध कराया गया रिकेन्सिलियेशन स्टेटमेंन्ट आगामी माह की 5 तारीख तक।

2— प्रारम्भिक व्ययाधिक्य तथा बचत विवरण दिनांक 30—9—2011

3 · व्याधिक्य तथा बचत का अन्तिम विवरण दिनांक 15—1—2012 तक।

4— वर्ष 2011—12 में समर्पण यदि कोई हो की सूचना 15 फरवरी, 2012 तक।

प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ स0— 59 पर अंकित है।

संलग्नक—उक्तानुसार।

भवदीय,

(डी0एस0 श्रीवास्तव)
निदेशक,
पंचायतीराज, उत्तर प्रदेश।

संख्याः 1/ 42/11/2010 उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी उ0प्र0।
2— विशेष सचिव, पंचायती राज अनुभाग—3,उत्तर प्रदेश शासन।
3— उपसचिव वित्त (व्यय नियंत्रण)अनुभाग—2/वित्त (आय व्ययक) अनुभाग—1, उ0प्र0शासन।
4— महालेखाकार सी0पी0 सी0—2 उ0प्र0 इलाहाबाद।
5— महालेखाकार लेखा एवं हकदारी प्रथम उ0प्र0इलाहाबाद।
6—वरिष्ठ उपमहालेखाकार/स्थानीय निकाय (लेखा परीक्षा एवं लेखा), चौथा तल, 15—ए, महर्षि दयानन्द मार्ग, सत्यनिष्ठा भवन, उ0प्र0 इलाहाबाद।
7— संबंधित जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8—तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 नवां तल बापू भवन लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि, उक्त आवंटन विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।

(रमेश चन्द्र राय)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
पंचायतीराज, उत्तर प्रदेश।

Mandal 04 DDI First allotment.letter

पत्र संख्या–1/ 42 /2011–1/17/2011 दिनांक 15 अप्रैल, 2011 का संलग्नक
वर्ष 2011–12

अनुदान संख्या–14 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम – 101–पंचायतीराज–04 मण्डल पंचायत प्रशासन

आयोजनेत्तर (धनराशि ₹ में)

क्र0सं0	मण्डल का नाम	01 वेतन	03 मंहगाई भत्ता	06 अन्य भत्ता	योग	कोषागार का प्रगामी योग
1	2	3	4	5	6	7
1	आगरा	371424	167140	34282	**572846**	**572846**
2	लखनऊ	1208785	543953	111570	**1864308**	**1864308**
3	बरेली	1097488	493869	101298	**1692655**	**1692655**
4	गोरखपुर	700413	315185	64648	**1080246**	**1080246**
5	बस्ती	303416	136537	28005	**467958**	**467958**
6	मेरठ	702484	316117	64839	**1083440**	**1083440**
7	मुरादाबाद	343717	154672	31725	**530114**	**530114**
8	इलाहाबाद	947200	426240	87426	**1460866**	**1460866**
9	वाराणसी	337536	151891	31154	**520581**	**520581**
10	झांसी	370336	166651	34182	**571169**	**571169**
11	कानपुर	748642	336888	69099	**1154629**	**1154629**
12	फैजाबाद	391072	175982	36095	**603149**	**603149**
13	चित्रकूटधाम (बांदा)	337537	151891	31154	**520582**	**520582**
14	सहारनपुर	131000	58950	12091	**202041**	**202041**
15	देवीपाटन	222776	100249	20562	**343587**	**343587**
	योग	**8213826**	**3696215**	**758130**	**12668171**	

(₹- एक करोड़ छब्बीस लाख अड़सठ हजार एक सौ इकहत्तर मात्र)

(रमेश चन्द्र राय)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
पंचायती राज उ0प्र0।